संख्या-ए-2-616/दस-2014-17(4)/75टी0सी0(डी)

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक : 28 मार्च, 2014

विषय :- प्रतिशत प्रभार की दर।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25 जनवरी, 2011 के प्रस्तर-1(2) के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों व अन्य निर्माण इकाईयों/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा डिपाजिट के रूप में तथा राजकीय कार्यदायी विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट (सी.सी.एल.) प्रणाली व डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी.सी.एल.) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो पर सेंटेज़, कुल लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत सेंटेज़ चार्जेज लिये जाने/जमा किये जाने की व्यवस्था है। परन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011 के प्रस्तर-2(3) के अनुसार प्रभावी सेंटेज़/अधिष्ठान व्यय 6.875 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जमा किया जा रहा है।

2- उक्त के दृष्टिगत् सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011 की उक्त व्यवस्था के अनुरूप, राजकीय कार्यदायी विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में सम्पादित निर्माण कार्यो पर कार्यांश (लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेंटेज़ (अधिष्ठान व्यय) सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा किया जायेगा परन्तु यदि सम्बन्धित विभागों के द्वारा जिन कार्यो पर 12.5 प्रतिशत की दर से सेंटेज़ (अधिष्ठान व्यय) राजकोष में जमा किया जा चुका है, उन्हें पुनरोद्-घाटित (reopen) नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
आनन्द मिश्र
प्रमुख सचिव।

संख्या-ए-2-616(1)/दस-2014-17(4)/75टी0सी0(डी), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4- वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, लोक निर्माण/सिंचाई/लघु सिंचाई/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा व वन विभाग, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- प्रभारी अधिकारी, यू.पी.निकनेट सेल, वित्त विभाग, कक्ष संख्या-82, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय को वित्त विभाग की वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(राकेश चौबे)

विशेष सचिव।